रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-पी.एच.-अ.-26112022-240602 CG-PH-E-26112022-240602

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] No. 610] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26, 2022/अग्रहायण 5, 1944 NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 2022/AGRAHAYANA 5, 1944

# पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

## अधिसूचना

पुदुच्चेरी, 8 **जून**, 2022

फा. सं. 39-4/2019-सीयू-आई दि. 06.12.2019.—पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (1985 की संख्या 53) की धारा सं. 26 के अंतर्गत उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विश्वविद्यालय-कार्यकारिणी परिषद के द्वारा, विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के साथ पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं:

- 1. संविधि संख्या 27(1) (ए) में "**संक्रामक कुष्ठ रोग से पीडित" शब्दों को हटाने के** प्रसंग में
- (I) इन संविधियों को पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय (संशोधन संबंधी) संविधि, 2019 के रूप में संबोधित किया जा सकता है।
- (II) ये संशोधन आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय 1985 की संविधियों के अंतर्गत संविधि संख्या 27(1)(ए) में से निम्नलिखित प्रविष्टियों को हटाया जाएगा।

"संक्रामक कुष्ठ रोग से पीड़ित"

प्रो. अमरेश सामंतराय, कुल सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./350/2022-23]

7870 GI/2022 (1)

#### ध्यान दें :

- (1) पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत, "विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों का उत्सर्जन" शीर्षक के तहत संविधि संख्या 27(1)(ए) में से "संक्रामक कृष्ट रोग से पीडित" शब्द को हटाया गया है।
- (2) पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम (1985 की 53) की संविधियों को पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के साथ उक्त अधिनियम के एक परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया गया था, और इन संविधियों का अंतिम संशोधन मिसिल संख्या 39-4/2019-सीय-। दि 06.12.2019 के तहत किया गया था।

# PONDICHERRY UNIVERSITY NOTIFICATION

Puducherry, the 8th June, 2022

- **F. No. 39-4/2019-CU-I dated 06.12.2019.**—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section No.26 of the Pondicherry University Act 1985, (No.53 of 1985), the Executive Council with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Statutes of the Pondicherry University Act 1985 namely:
- 1. AMENDMENT IN STATUTE NO.27(1)(a) RELATING TO REMOVAL OF THE WORDS "SUFFERS FROM CONTAGIOUS LEPROSY".
- (i) These Statutes may be called as the Pondicherry University (Amendment) Statutes, 2019.
- (ii) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.
- 2. In the Statutes of Pondicherry University 1985, In Statute 27(1)(a) The following entries thereto shall be omitted.

"Suffers from Contagious Leprosy"

Prof. AMARESH SAMANTARAYA, REGISTRAR (i/c)

[ADVT.-III/4/Exty./350/2022-23]

#### Note:

- 1) Under the Title in Pondicherry University Act 1985, "Removal of Employees other than Teachers of the University" under Statute No.27(1)(a) the word "suffers from contagious leprosy" is removed.
- 2) Statutes of the Pondicherry University Act (53 of 1985) were published along with the Pondicherry University Act 1985 as a Schedule annexed to that Act and were last amended vide F.No 39-4/2019-CU-I, dated 06.12.2019.